

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-847 / ग्यारह-9(47) / 17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(14)-2017

लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल,—

(एक) संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन; और

(दो) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें तैनात कैरियर कौंसलीय अधिकारी को

उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधधीन विनिर्दिष्ट करते हैं :—

(क) संयुक्त राष्ट्र या कोई विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रमाण पत्र के अधधीन उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त राज्य कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे कि माल और सेवाओं का उपयोग संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासकीय उपयोग के लिए किया गया है या उपयोग किया जाना आशयित है ।

(ख) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें तैनात कैरियर कौंसलीय अधिकारी, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त राज्य कर के प्रतिदाय का निम्नलिखित के अधधीन दावा करने के हकदार होंगे,—

(एक) यहकि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें तैनात कैरियर कौंसलीय अधिकारी, पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा निर्धारित राज्य कर का प्रतिदाय करने के लिए हकदार होंगे;

(दो) यहकि सेवा पूर्ति के मामलें में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के प्रमुख या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसी मिशन या पद के किसी व्यक्ति को अपने द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल वचनबंध यह उल्लिखित करते हुए देना होगा कि प्राप्त सेवा की पूर्ति उक्त विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के शासकीय प्रयोजन के लिए या उक्त

